

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—एफ24(29) NOC17-18/ बी.एड./आकाशि/ 17/ 198

दिनांक:—२०.५.२०१७

आदेश

एन.सी.टी.ई. के आदेश क्रमांक NRC/NCTE/APP-13251/Recognition./B.A. B.Ed./B.Sc. B.Ed. /2016/162311-15 dated 22.11.2016 के अनुसरण में निम्नलिखित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को सत्र 2017-18 के लिए बी.ए. बी.एड./बी.एस.सी. बी.एड.(4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम), के संचालन हेतु केन्द्रीकृत प्रवेश व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र एतद्वारा जारी किया जाता है।

- प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के माध्यम से पी.टी.ई.टी. परीक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे।
- विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय, सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई राशि विद्यार्थियों से नहीं लेंगे। यदि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय की मान्यता को तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा।
- विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय को एनसीटीई एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मापदण्डों की पूर्ति करने के साथ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी। मापदण्डों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर सकेगी।
- विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों द्वारा उपयुक्त योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जायेगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	जिला	सहशिक्षा/ महिला	आवंटित सीट
1	वीणा मेमोरियल डिग्री कॉलेज, तहसील—करौली, जिला—करौली।	करौली	सहशिक्षा	100 (2 यूनिट)

19/५
अ.युक्त,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

- विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिमुख्य सचिव, उच्च शिक्षा। (युप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, (युप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- समन्वयक बी.ए. बी.एड./बी.एस.सी. बी.एड. 2017 महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
- रजिस्ट्रार, कोटा विश्वविद्यालय कोटा को भेजकर लेख कि संस्थाओं का सम्बद्धता प्रदान करने से पूर्व एन.सी.टी.ई. के मान्यता पत्र के विन्दू 5 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।
- क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई. जीवन बीमा मवन, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर।
- परियोजना अधिकारी, राज्य सूधना(एनआईसी), शासन सचिवालय, जयपुर।
- सचिव, प्राच्यार्थ, वीणा मेमोरियल डिग्री कॉलेज, करौली-322241
- प्रभारी वेबसाईट, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित है कि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करायें।
- रक्षित पत्रावली।

१९/१००
संयुक्त निदेशक (निजी संस्था)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।